01AA 832110

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 5,24,975/ रूपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 52,500/ रूपये

मैं/हम कि विनोद पुत्र श्री अतरू निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर..(फरीक अव्वल/विक्रेता /विक्रेतागण) ।

एवम

श्री रवि कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (फरीक दोयम/क्रेता) ।

स्टाम्प नं. 52 रु. 10 ...
स्टाम्प नं. ... में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

5, 499== 500/=

फोटो ... 20/-
उजरत ... 500/- ... 600
श्री ...
पुत्र ...
निवासी ...
के कार्य ... जिला
... 40/06
... प्रस्तुत किया।

11/6/06

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 832311

विकीत भूमि का विवरण
स्थित ग्राम दुररई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0). कृषि भूमि खाता नं0 358 के खसरा नं0 129ख रकबई 0.3290 व खसरा संख्या 252ग रकबई 0.1770 कुल दो किता रकबई 0.5060 हैक्टेयर का 1/4 भाग अर्थात 0.1265 हैक्टेयर ।

1. विकीत भूमि कृषि भूमि है जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/–रूपया प्रति हैक्टेयर लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/–रूपया प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 5,24,975/– रूपये (पॉच लाख चौबीस हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपए मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

2. विक्रेता अनुसूचित जाति का है। विक्रेता ने इस आशय का श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है ।

स्टाम्प नं. 57 रु. 10 भीम
स्टाम्प नं. 53 से शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

जिनकी पहचान श्री ...
पुत्र श्री ... पेशा ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ... पेशा ...
निवासी ...

उप पंजीयक
11/8/06

सत्यमेव जयते

साक्षी ... प्रतीत होते हैं चिन्ह
निशानी नियमानुसार लिए गये हैं

उप पंजीयक
11/8/06

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. | Rs.10000

दस हजार रुपये | RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01AA 832112

(3)

3. यह कि विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विक्रेता (फरीक अव्वल) संक्रमणीय भूमिधर हो चुका है । इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नही हैं ।

4. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है।तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222759 दिनांकित 14.09.2005 अंकन 45,000/-रुपये (पैंतालीस हजार रुपए मात्र) तथा नगाद 9,000/-रुपये (नौ हजार रुपए मात्र) दिनांक 4.09.2005 प्राप्त कर लिये थे ।

विनोद कुमार

स्टाम्प नं०...........तारीख..........
स्टाम्प नं०...........में शामिल किया गया
सप. रोकड़िया

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01AA 832113

6. विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ /हम फरीक अव्वल (विक्रेता / विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विक्रय, वसीयत आदि दावों से मुक्त है कही अन्य जगह आड, रहन बय, हिबे महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ग्रस्त नही है और न हीं इस बाबत कोई मामला किसी न्यायालय / कार्यालयों में विचाराधीन है ।

7. मुझ / हम विक्रेता / विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 358 के खसरा नं0 129ख रकबई 0.3290 व खसरा संख्या 252ग रकबई 0.1770 हैक्टेयर कुल दो किता अर्थात 0.5060 हैक्टेयर का 1/4 भाग अर्थात 0.1265 हैक्टैयर, स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजि आवश्यकताओं हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व

स्टाम्प सं0 2 से 10 तक

स्टाम्प सं0 में शामिल किया गया

उप. रोकड़िया

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0J AA 832514

(5)

स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, काबिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विकेता को विकीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विकय धनराशि अंकन रूपया अंकन 5,24,975 रूपये (पॉच लाख चौबीस हजार नौ सौ पिचहत्तार रूपए मात्र) जिसके आधे अंकन 2,62,487.50/- (दो लाख बासठ हजार चार सौ सत्तासी रूपए पचास पैसे मात्र) होते है, एवज में हाथ फरीक दोयम केता उपरोक्त श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर को बय कर दिया है और भूमि की कुल विकय धनराशि में से अवशेष रकम अंकन 4,70,975/- (चार लाख सत्तर हजार नौ सौ पिचहत्तार रूपये मात्र) बजरिये चैक नम्बर 011418 दिनांकित 10.08.2006 का पंजाब नैशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुझ विकेता ने केता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नही रहती है ।

8. विकीत भूमि का कब्जा मौके पर केता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके केता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में लाये ।

विनोद कुमार

ब्रिजेश कुमार

डायरी
10 AUG 2006
स्टाफ सं0 52 क्र0 10 नाम
स्टाफ सं0 5 में दाखिल किया गया
अनुभाग

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

06414

9. विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराकर बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहॉ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नही होगा और न ही है । अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलांकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा ।

10 विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थापनापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

विनोद कुमार रवि

10 AUG 2006

सम्मिलित किया गया

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

064150

(७)

11. यह कि फरीक अव्वल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदि) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हे क्रेता को सौंप देगा।

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया हैं।

10 AUG 2006

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

500Rs.

2006

(8)

13 अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

श्री पुत्र श्री
निवासी ग्राम परगना
तहसील
जिला

श्री पुत्र श्री
निवासीग्राम परगना
तहसील
जिला

तहरीर दिनांक 10.08.2006 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

Tejendra Singh
Advocate
Ch. 126-207, Civil Court
GHAZIABAD (U.P.)

सहायक नं0...6...रू0...5/-मात्र.....
स्टाम्प नं0...5...में शामिल किया गया
उप. रजिस्ट्रार

लेखपत्र दिनांक ...11/8/06...... का फोटोप्रति पुस्तक संख्या ...I... खण्ड संख्या 181 के पृष्ठ 127/162 ..... पर क्रमसंख्या 11439 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी

दादरी
सत्यमेव जयते
उप

FORM NO. 29
(RULE 827)
CERTIFICATE OF SEARCH

Certificate No...684/05.................
Application No...841/05.................

Shri ....[illegible]....[illegible]....[illegible] here applied to me for a Certificate given particulars of registered acts and encumbrance if any in respect of the under mentioned [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(To be soats & described as given In the application)

I have certify that search has been made in book Band in the annexed relating have to from the year ...1994............... to the year..17/9/05............ for ract and encumbrances efficient the said property and that on such the following facts and encumbrances

No.	Description of the property is given in the documents	date of execution	Tenure & value of document	Name of the Parties Execution claimed	Reference No Year

[illegible]

I also certify that have there aforesaid act and encumbrances on the acts affecting the said prepares have been found

Prepared by: [illegible]

(Lignatuto)
Designation

Signature of Registrar
[illegible]

Office: Dadri
Date : 28.10.05

SEAL

NOTES

1. The acts and encumbrances shown in this certificate at those discovered with reference to the described in request read documents in cannot different from law in which the applicant has described those transaction evidenced by such documents will not be included in the certificate.
2. The required search has been made as carefully as possible by office but the department will not be held accountable itself responsible for or ors in the result of seface ebodied in the certificate
3. This certificate does not include documents if any which has been presented but have been registered up to date.

तरमीम खसरा .... ग्राम .... परगना .... तहसील ....दादरी.... जिला ....गौतम बुद्ध नगर.... बाबत साल 140 ....2022.... फ०

क्षेत्रफल ... बीघा	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी खाते में वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के (भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल — खरीफ: फसल का नाम	खरीफ: सींचा हुआ	खरीफ: अन सींचा	रबी: फसल का नाम सींचा हुआ	रबी	रबी: अन सींचा	जायद: फसल का नाम	जायद: सींचा हुआ	जायद: अन सींचा	सींचा हुआ	अन सींचा	निर्धारण खसरे के स्तम्भ ... के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा: भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे बढ़े हुये पेड़ों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0.966	352	निर्मला आदि [illegible]	—	[illegible]	धान	0.966	—	गेहूं	.966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

Amit Kumar
[illegible]
अमित कुमार
(लेखपाल)
[illegible]
तहसील दादरी

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

PNB

छपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 368 खसरा नं० 129 / 352 रकबा 0.1770 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मैं० उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

विनोद s/o आनन्द

ग्राम - दुरियाई

(गौ० बु० नगर)

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक U.P Sahkari Vikas bank LTD

DADRI

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध मे

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 384 खसरा नं० 123 352 रकबा 0.1775 स्थित ग्राम डुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै० उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करे ।

धन्यवाद

प्रार्थी

विनोद S/o आनन्द
ग्राम - डुरियाई
(गौ० बु० नगर)

27/6/08

1952

जाति प्रमाण पत्र

(उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए)

प्रमाण पत्र संख्या
012710201150871609

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद

पुत्र श्री अतरू निवासी गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी

जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 राज्य की बाल्मीकी

जाति के व्यक्ति हैं। जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई0 जैसा कि समय- समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन–जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री विनोद तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र राजस्व निरीक्षक, बिसरख की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान दादरी

दिनाँक 07-04-2006

कार्यालय की मुहर सहित

तहसीलदार
दादरी

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020115087 ग्राम का नाम : दुरयाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 2	भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00358	रामभूल	अतरू	नि. ग्राम	पू1395फ	129ख	0.3290		1- उपजिलाधिकारी के आदेश दि017-3-97 के क्रम में खातेदार को सं0 भू0 वाला भूमिधर घोषित किया जाता है । ह0आर0के0/रा0 6-8-04 आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक मि.न.1017/26-9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 358 के ख.न. 129ख/0.3290 252ग/0.1770हे. कुल 0.5060हे. का 1/4भाग 0.1265 है. विक्रेता विनोद पुत्र अतरू नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रवि कुमार पुत्र तारा नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 28-5-2007 आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक मि.न.956/11-9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 358 के ख.न. 252ग/0.1770 है. का 1/4 भाग 0.04425हे. से विक्रेता रामभूल पुत्र श्री अतरू नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रवि कुमार पुत्र श्री तारा नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 28-5-2007	
	ओमपाल	अतरू	नि. ग्राम	पू1395फ	252ग	0.1770			
	*विनोद	अतरू	नि. ग्राम						
	*सुन्दर	अतरू	नि. ग्राम						

कुल गाटे : 2 कुल क्षे : 0.5060 14.75

[illegible] 16-6-07 [illegible]

हस्ताक्षर [illegible]